कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 6025 /पटना, दिनांक 31.07.2017

05/नि॰ अंके॰ अरा॰ पदा॰ स्था॰ – 49/2016

प्रेषित,

श्री नीरज कुमार झा,
पिता का नाम – श्री आनन्दी झा,
अनुक्रमांक – 12026107,
पता – शिवपुरी कॉलोनी, रोड नं॰–3,
इशाकचक, भागलपुर–812001

निबंधित डाक से

विषय :– **बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 2407/2007 के आधार पर सहकारिता विभाग अन्तर्गत "अंकेक्षक" के पद पर योगदान के संबंध में।**

प्रसंग :– **विभागीय नियुक्ति–सह–पदस्थापन आदेश ज्ञापांक 2283 दिनांक 07.03.17, ज्ञापांक 3960 दिनांक 16.05.17 एवं ज्ञापांक 4860 दिनांक 16.06.17 तथा आपके आवेदन दिनांक 31.03.17, 25.05.17 एवं 24.07.17**

उपर्युक्त विषयक आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्रासंगिक विभागीय आदेश दिनांक 07.03.17 द्वारा आपकी नियुक्ति सहकारिता विभाग अन्तर्गत 'अंकेक्षक' के पद पर की जा चुकी है। परन्तु, निर्धारित 30 (तीस) दिनों की अवधि में आपके द्वारा उक्त पद पर योगदान नहीं किया गया है। आपके आवेदन दिनांक 31.03.17 के आलोक में आपको योगदान हेतु दिनांक 31.05.17 तक तथा पुनः आपके आवेदन दिनांक 25.05.17 के आलोक में दिनांक 31.07.17 तक अवधि विस्तार भी दिया जा चुका है। पुनः आपके आवेदन दिनांक 24.07.17 के द्वारा योगदान हेतु छः माह के अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि अस्वस्थता के आधार पर योगदान हेतु अवधि के विस्तार के संबंध में आपके तीनों आवेदनों दिनांक 31.03.17, 25.05.17 तथा 24.07.17 के द्वारा छः माह के ही अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है। इस प्रकार आपके स्वस्थ होने के लिए मार्च' 2017 में छः माह की अवधि की आवश्यकता थी, मई' 2017 में भी छः माह की अवधि की आवश्यकता थी तथा वर्त्तमान में जुलाई' 2017 में भी छः माह की अवधि की आवश्यकता है, जो स्वतः विरोधाभाषी है। आपके अद्यतन आवेदन दिनांक 24.07.17 में चिकित्सक के परामर्श का उल्लेख किया गया है, परन्तु कोई चिकित्सा साक्ष्य अथवा चिकित्सक का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

अतः निदेशानुसार आपके आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त निदेशित किया जाता है कि पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 31.07.2017 तक अपने पदस्थापन कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त तिथि तक आपके द्वारा योगदान नहीं किया जाता है तो यह मानते हुए कि आपकी अभिरूचि उक्त पद पर योगदान करने की नहीं है, आपकी अभ्यर्थिता समाप्त करने की दिशा में कार्रवाई करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को तद्नुसार सूचित कर दिया जाएगा तथा उक्त तिथि के बाद इस संबंध में आपका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

Fast

31/7/17

(अखिलेश कुमार)
जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

Node:5\E:\AKS Files\Audit Sec\New Auditor Appointment 2016\Auditor Appt. (Last Chance).doc\Ashok.